रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082020-221202
CG-DL-E-18082020-221202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/श्रावण 27, 1942
No. 2478] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2020/SHRAVANA 27, 1942

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(नई रोशनी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

का.आ. 2795(अ).–सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) **केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की स्कीम** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है;जिसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं मध्यस्थों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तीकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है। यह स्कीम पैनल में शामिल गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसमें कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है;

और जबकि, स्कीम के वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा महिला प्रशिक्षणार्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि अर्थात् 6 दिनों के लिए (गैर–आवासीय) 100/–रु0 (एक सौ रुपए केवल) या 05 दिनों (आवासीय) के लिए 150/– रु0 (एक सौ पचास रुपए केवल) का प्रतिदिन के वज़ीफे (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) का संदत्त किया जाता है;

और जबकि, उपर्युक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से उपगत अनावर्ती व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) स्कीम के अधीन फायदों को प्राप्त करने के पात्र किसी भी व्यष्टिक को एतद् द्वारा उसके पास आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीम के अधीन फायदों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु उस व्यष्टिक को आधार सौंपे जाने तक स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थातः–

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र–शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण–पत्र; या

(x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाए जाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता हो।

3. जहां खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा अन्य किसी कारण के चलते फायदाग्राहियों का आधार अधिप्रमाणन नहीं हो सका है, निम्नलिखित उपचारी तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:–

(क) अंगुलियों की छाप के स्तरीय न होने की स्थिति में अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन अथवा चेहरा पहचान सुविधा अपनाई जाएगी, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रसुविधाओं के सुगम तरीके से परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के अधिप्रमाणन सहित आइरिस स्कैनरों अथवा चेहरे की पहचान के लिए व्यवस्था करेगा;

(ख) यदि अंगुलियों की छाप अथवा आइरिस स्कैन अथवा चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो, जहां भी व्यवहार्य एवं अनुमत्य हो, वहां आधार के एकबारगी पासवर्ड अथवा समय आधारित एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी), यथास्थिति द्वारा अधिप्रमाणन की सुविधा दी जाएगी;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक अथवा आधार एकबारगी पासवर्ड अथवा समय आधारित एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणन संभव नहीं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मत्रांलय द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर की जाएगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपनी समुचित प्रसुविधाओं से वंचित न हो, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी–26011/04/2017–डीबीटी में रेखांकित किए गए अनुसार समस्या समाधान प्रणाली का अनुसरण करेगा।

5. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों के सिवाए, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एलडी–11018/3/2019–लीडरशीप]

सी. पी. एस. बक्शी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(NAI ROSHNI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2020

S.O. 2795(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs in the Government of India (*hereinafter referred to as the Ministry*), is administering the **Central Sector Scheme of Nai Roshni–The Scheme for Leadership Development of Minority Women** (*hereinafter referred to as the Scheme*) to empower and instil confidence in minority women by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, banks and intermediaries at all levels. The Scheme is implemented through empanelled non-governmental organizations (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, stipend of Rs. 100/- (One hundred rupees only) or Rs. 150/- (One hundred and fifty only) per day (*hereinafter referred to as the benefit*) for the duration of the training programme i.e. 6 days (non-residential) or 5 days(residential) respectively, is paid to the woman trainee (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agencies as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves non-recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the training programme provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies

shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agencies shall make arrangements to ensure that wide publicity through media is given to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agencies.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December 2017 of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. LD-11018/3/2019-Leadership]

C. P. S. BAKSHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA